

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम कविता खरे

2. पद सहायक-3

3. वर्तमान वेतन

4. वेतनवृद्धि की अगली तिथि 01/07/2025

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर गृह तथा अन्य भवन या भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया खरीदा पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उस का नाम तथा व्यौर।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2-10/01/25 will 02/01/2025						

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

K. Khare

1. जो लागू न हो काट दीजिये। 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पश्चात यह पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा अचल सम्पत्ति का व्यौर देवे।